कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

क्रमांक : 2026/पीए/ 463 दिनांक 07.08.2026

–:: संशोधित कार्यालय आदेश ::–

मैं **स्वाति पारीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** कोटपूतली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह अगस्त–सितम्बर, 2026 हेतु रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् जारी कार्यालय आदेश क्रमांक/2026/पीए/456 दिनांकित 31.07.2026 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती पूर्णिमा यादव, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–01, बहरोड़ को दिनांक 08.08.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाकर श्री देवकरण गुर्जर, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर को दिनांक 08.08.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–01 बहरोड़ (जरिए ई मेल)
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर (जरिए ई मेल)
4. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ की सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। (जरिए ई मेल)
5. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस लेख के साथ कि संबधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
6. समस्त अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, कोटपूतली–बहरोड़ न्यायक्षेत्र। (जरिए ई मेल)
7. सिस्टम ऑफिसर कोटपूतली को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय पत्रावली।

7/8/26

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़